

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:- 64/2022

दायर दिनांक:- 09.06.2022

निर्णय दिनांक:- 23.06.2022

उनवान

1. श्री भूरा पिता आशा रेगर निवासी सांवता।

प्रार्थी

बनाम

- 1 श्री लखमा पिता भूरा रेगर निवासी सांवता।
- 2 श्री मांगीलाल पिता मोडा गाडरी निवासी सांवता।
- 3 श्री रामेश्वर पिता खुमा लौहार निवासी सांवता।
- 4 श्रीमती रतनी शंकर रेगर निवासी मालीखेडा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। बार-बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नहीं हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500- रूपये शुल्क पर मौजा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा सांवता पटवार हल्का भूपालनगर तहसील भूपालसागर की आरांजी संख्या 1322 रकबा 0.05 है. आ0सं0 1323 रकबा 0.22 है. आ0सं0 1324 रकबा 0.03 है. आ0सं0 1325 रकबा 1.18 है. आ0सं0 1326 रकबा 0.30 है. आ0सं 1327 रकबा 0.56 है. आ0सं0 1328 रकबा 0.85 है. आ0सं0 1329 रकबा 0.03 है. आ0सं0 1998/1325 रकबा 0.02 है. व मौजा भूपालनगर में आ0सं 2009 रकबा 0.50 है. भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।



(भावना सिंह)

सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)